पीएम सूर्यघर मुफ्त घर योजना　　श्री अन्न योजना　　निपुण सम्भल　　तिथि भोजन　　मिशन शक्ति

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
सम्भल।

सेवा में

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ कमिश्नरेट, लखनऊ।

पत्रांकः 1261 /न्याय सहायक/2024　　　　दिनांकः 30.11.2024

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा. नेता विरोध दल, विधान सभा, उ.प्र. एवं पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा, उ.प्र, श्री लाल बिहारी यादव, मा. नेता विरोधी दल, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, द्वारा निरीक्षण भवन सम्भल/जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय सम्भल में कार्यकर्ताओं एवं जनता से भेट तत्पश्चात सम्भल दंगे में मृतको के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त करने तथा दंगे के कारण एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद सम्भल आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

अवगत कराना है कि दिनांक 19.11.2024 को महन्त ऋ्रऋषिराज गिरी, महन्त कैला देवी मन्दिर, थाना कैला देवी जनपद सम्भल द्वारा श्री विष्णु शंकर जैन अधिवक्ता मा० उच्चत्तम न्यायालय दिल्ली और विष्णु कुमार शर्मा, अधिवक्ता जनपद सम्भल के माध्यम से जनपद सम्भल में मा. न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, सम्भल स्थित चन्दौसी में जामा मस्जिद सम्भल मौहल्ला कोट पूर्वी थाना सम्भल को पूर्व में हरिहर मन्दिर होने का दावा पेश किया गया। दिनांक 24.11.2024 को एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे की शेष कार्यवाही की गयी, जिसके उपरान्त मुस्लिम समुदाय के द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए गोलीबारी, पथराव व आगजनी की गयी है। इस कारण जनपद सम्भल का माहौल अतिसंवेदनशील हो गया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने आदेश संख्या 1259/न्याय सहायक/धारा–163/2024, दिनांकित 29.11.2024 के द्वारा किसी भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद सम्भल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश प्रवेश को प्रतिबन्धित करते हुए जनपद सम्भल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की गयी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद सम्भल साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील जनपद है। उपर्युक्त घटना के अतिरिक्त वर्ष 2019 में भी मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान जनपद सम्भल में हिंसात्मक घटनाएंघटित हुई है। अतः उपर्युक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा. नेता विरोध दल, विधान सभा, उ.प्र. एवं पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा, उ.प्र., श्री लाल बिहारी यादव, मा. नेता विरोधी दल, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनसे वार्ता कर इन्हें लखनऊ में ही रोका जाना समीचीन होगा, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे।

अतः अनुरोध है कि जनपद सम्भल की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा. नेता विरोध दल, विधान सभा, उ.प्र. एवं पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा, उ.प्र., श्री लाल बिहारी यादव, मा. नेता विरोधी दल, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की गतिवधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा जनपद सम्भल के लिए प्रस्थान करने पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय एवं श्री लाल बिहरी यादव, उपरोक्त को लखनऊ में ही रोकने की व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

30.11.24

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
जिला मजिस्ट्रेट,
सम्भल।

संख्या एवं दिनांकः यथोक्त।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा. नेता विरोध दल, विधान सभा, उ.प्र. की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री लाल बिहारी यादव, मा. नेता विरोधी दल, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, सम्भल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उप जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,
सम्भल।

एक युद्ध नशे के विरूद्ध/नशा मुक्त भारत अभियान　　पी.एम. श्री　　पेड़ लगाओ–जल बचाओ–प्लास्टिक हटाओ

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
सम्भल।

सेवा में

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ कमिश्नरेट, लखनऊ।

पत्रांकः 1261 /न्याय सहायक/2024 दिनांकः 30.11.2024

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा. नेता विरोध दल, विधान सभा, उ.प्र. एवं पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा, उ.प्र, श्री लाल बिहारी यादव, मा. नेता विरोधी दल, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, द्वारा निरीक्षण भवन सम्भल/जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय सम्भल में कार्यकर्ताओं एवं जनता से भेट तत्पश्चात सम्भल दंगे में मृतको के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त करने तथा दंगे के कारण एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद सम्भल आने का कार्यकम प्रस्तावित है।

अवगत कराना है कि दिनांक 19.11.2024 को महन्त ऋषिराज गिरी, महन्त कैला देवी मन्दिर, थाना कैला देवी जनपद सम्मल द्वारा श्री विष्णु शंकर जैन अधिवक्ता मा० उच्चत्तम न्यायालय दिल्ली और विष्णु कुमार शर्मा, अधिवक्ता जनपद सम्भल के माध्यम से जनपद सम्भल में मा. न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, सम्भल स्थित चन्दौसी में जामा मस्जिद सम्भल मौहल्ला कोट पूर्वी थाना सम्भल को पूर्व में हरिहर मन्दिर होने का दावा पेश किया गया। दिनांक 24.11.2024 को एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे की शेष कार्यवाही की गयी, जिसके उपरान्त मुस्लिम समुदाय के द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए गोलीबारी, पथराव व आगजनी की गयी है। इस कारण जनपद सम्भल का माहौल अतिसंवेदनशील हो गया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने आदेश संख्या 1259/न्याय सहायक/धारा–163/2024, दिनांकित 29.11.2024 के द्वारा किसी भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद सम्भल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश प्रवेश को प्रतिबन्धित करते हुए जनपद सम्भल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की गयी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद सम्भल साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील जनपद है। उपर्युक्त घटना के अतिरिक्त वर्ष 2019 में भी मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान जनपद सम्भल में हिंसात्मक घटनाएंघटित हुई है। अतः उपर्युक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा. नेता विरोध दल, विधान सभा, उ.प्र. एवं पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा, उ.प्र., श्री लाल बिहारी यादव, मा. नेता विरोधी दल, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनसे वार्ता कर इन्हें लखनऊ में ही रोका जाना समीचीन होगा, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे।

अतः अनुरोध है कि जनपद सम्भल की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा. नेता विरोध दल, विधान सभा, उ.प्र. एवं पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा, उ.प्र., श्री लाल बिहारी यादव, मा. नेता विरोधी दल, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की गतिवधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा जनपद सम्भल के लिए प्रस्थान करने पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय एवं श्री लाल बिहरी यादव, उपरोक्त को लखनऊ में ही रोकने की व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
जिला मजिस्ट्रेट,
सम्भल।

संख्या एवं दिनांकः यथोक्त।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा. नेता विरोध दल, विधान सभा, उ.प्र. की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री लाल बिहारी यादव, मा. नेता विरोधी दल, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, सम्भल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उप जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30.11.24
जिला मजिस्ट्रेट,
सम्भल।

Scanned with OKEN Scanner